पूर्ण भाड़ा दर (एफटीआर) पर संचालित की जाने वाली विशेष कोच/ गाड़ी की बुकिंग के नोटिफिकेशन में बुकिंग कर्ता हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।

1. विशेष कोच/ गाड़ी के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र यात्रा आरम्भ होने की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व परन्तु 06 माह से अधिक पहले नहीं किया जायेगा ।
2. विशेष कोच/ गाड़ी का पंजीकरण सामान्यतः केवल उसी स्टेशन से होगा जहाँ से कोच/ गाड़ी मांगी गयी है। पंजीकरण का समय सभी स्टेशनों पर एक समय सुबह 10बजे से शाम 06बजे तक रहेगा।
3. विशेष कोच/ गाड़ी का आवंटन आवेदन पत्र के पंजीकरण की तारीख की प्राथमिकता के आधार पर होगा। कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टर पर प्राथमिकता दर्ज रहेगी।
4. मध्यवर्ती स्टेशनों से कोच की मांग करने पर कोच उपलब्ध डिपो स्टेशन से ही दिया जायेगा व स्टेशन से डिपो व वापसी का पार्टी से नियमानुसार शुल्क/प्रभार वसूल किया जायेगा।
5. विशेष कोच/ गाड़ी के लिए न्यूनतम 500किमी की दूरी बाहरी एवम् वापसी यात्रा के लिए अलग अलग लागू होगी। चक्रवत यात्रा के मामले में प्रभार के लिए न्युनतम दूरी से दुगुनी होगी। विशेष गाड़ी का पंजीकरण कम से कम 18 कोच के लिए होगा तथा किराया भी कम से कम 18 कोच का चार्ज किया जायेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा यदि इसमें किसी भी समय बदलाव किया जाता है तो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र अनुसार चार्ज देय होगा।
6. यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसा कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा जिससे यात्रा कार्यक्रम की प्रकृति बदले।
7. यात्रा प्रारम्भ स्टेशन पर एक फोल्डर उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें यात्रा का विवरण होगा व यात्रा के दौरान पड़ने वाले हाल्ट स्टेशनों पर उसमें आगमन, ठहराव व प्रस्थान का विवरण दर्ज करवाना होगा।

8.(अ)पार्टी द्वारा भ्रमण पूरा करने पर सभी देय शुल्कों और अतिरिक्त विलम्ब शुल्क की कटौती के पश्चात यात्रा के प्रारंभिक स्टेशन का स्टेशन प्रबंधक सुरक्षा जमा और अधिभार यदि कोई हो, तो उसकी वापसी करेगा "रकम वापस करते समय स्टेशन प्रबंधक को व्यक्तिगत रुप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि पार्टी पर कोई अवप्रभार बकाया नहीं है और गाड़ी/कोच रेलवे को अच्छी हालत में वापस की गई है।"

(ब)यदि फोल्डर और या टिकट खो जाता है या दोनों मूल रुप से जमा नहीं किये जाते हैं तो धन वापसी नहीं की जायेगी।

(स)"यदि फोल्डर 06 माह की अवधि के बाद लेकिन ट्यूर पूरा होने के 03वर्ष के अन्दर जमा किया जाता है तो जमा सुरक्षा राशि की धन वापसी महाप्रबंधक की स्वीकृति से की जायेगी।

9. यदि फोल्डर में प्रविष्ठियां सही प्रकार से नहीं की गई हैं/ काट छांट की गई है या स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है उस स्थिति में पार्टी का रिफन्ड का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
10. पार्टी द्वारा सामान्यतः आगे की गाड़ी का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिये। पार्टी द्वारा पूर्ण भाड़ा दर पर कोच का पंजीकरण करवाते समय यदि आगे मिलान वाली गाड़ी का निर्धारण किया जाता है तो उसे पार्टी हाल्ट माना जायेगाा एवम पार्टी से नियमानुसार डिटेंशन चार्ज लिया जायेगा तथा टेलिस्कोपिक लाभ भी नहीं मिलेगा।
11. विशेष गाड़ी/कोच यानों की बुकिंग के लिए बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए कोई रियायत नहीं दी जायेगी।
12. यात्रा प्रारम्भ से पूर्व भाड़ा व सभी प्रकार के देय शुल्क व अन्य चार्जेज कोच/गाड़ी के प्रस्थान से 48 धंटे पूर्व जमा कराने होंगे।
13. सम्पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा कि गाड़ी तय समयानुसार चले परन्तु इस बात की कोई गारन्टी नहीं ली जा सकती है एवं देरी से हुई हानि व यात्रियों की असुविधा के लिए रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्टोव, पेट्रोल व गैस सिलेण्डर इत्यादि ले जाना निषिद्ध है।
15. ट्रेन के कोचों की आन्तरिक एवं बाहरी सतह पर कोई राजनीतिक सन्देश वाले अथवा किसी धर्म विशेष को बढावा देने वाले पोस्टर, बैनर इत्यादि नहीं लगाये जायें।
16. बुक कराई जा रही विशेष गाड़ी/कोच को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी एवं न ही कोइ ऐसा कृत्य किया जायेगा जो कि कानूनन निषिद्ध है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होगा तो कानूनी रुप से जो भी क्षति या दण्ड या दोनों वहन करने होंगे।
17. उपरोक्त बताये गये नियम के अतिरिक्त ICRA कोचिंग टेरिफ नं. 26 पार्ट I एवं रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर विभिन्न परिपत्रों में जारी निर्देश लागू रहेंगे।